पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. –9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 292/2024

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 18.09.20243

हेमराज मीना, पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु दिनांक- 18.09.2024 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाहियां की गयी है-

थाना मेंहनाजपुर क्षेत्रान्तर्गत अधेड को गोली मारकर हत्या का प्रयास करने वाला बदमाश 12 घण्टे के अन्दर पुलिस मुठभेड में घायल/गिरफ्तार; अवैध तमन्चा, 01 खोखा कारतूस व 01 जिन्दा कारतूस व 01 मोबाइल फोन बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 18.09.2024 को वादी मुकदमा अर्जुन बनवासी पुत्र उमाशंकर बनवासी निवासी सिधौना थाना मेंहनाजपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना मेंहनाजपुर पर तहरीर दिया गया कि दिनांक 17.09.2024 को शाम लगभग 06:15 बजे वादी के चाचा ओमकार बनवासी पुत्र रामनाथ बनवासी उम्र करीब 48 वर्ष को उसके पडोसी श्यामसुन्दर बनवासी पुत्र सुभाष बनवासी ने पुरानी रंजिश को लेकर सीने पर देशी तमन्चा रखकर फायर कर दिया जिन्हे सीएचसी मेंहनाजपुर ले जाया गया जिन्हे डाक्टर द्वारा आजमगढ़ और BHU वाराणसी रेफर कर दिया गया है जिनका इलाज चल रहा है, जिसके सम्बन्ध में थाना मेंहनाजपुर पर मु0अ0सं0- 155/2024 धारा 109 BNS पंजीकृत किया गया।

मुठभेड का विवरण- पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु चलाये गये अभियान के क्रम में आज दिनांक 18.09.2024 को थानाध्यक्ष मेंहनाजपुर हीरेन्द्र प्रताप सिंह मय हमराह व उ0नि0 दीपक कुमार मय हमराह इटैली बाजार में मौजूद थे कि मुखबिर ने सूचना दिया कि ओमकार बनवासी की गोली मारकर हत्या का प्रयास करने वाला बदमाश श्यामसुन्दर बनवासी पुत्र सुबाष बनवासी निवासी सिधौना थाना मेंहनाजपुर जनपद आजमगढ़ मोबाईल, पैसा व अपने कपडे लेने के लिये अपने घर ग्राम सिधौना, मानिकपुर रोड से होकर जाने वाला है। इस सूचना पर थानाध्यक्ष मेंहनाजपुर हीरेन्द्र प्रताप सिंह मय फोर्स द्वारा मानिकपुर रोड चिल्लूपुर के पास घेराबन्दी किया गया। कुछ देर पश्चात मानिकपुर की तरफ से 01 व्यक्ति पैदल आता दिखाई दिया। थानाध्यक्ष मेंहनाजपुर मय फोर्स जैसे ही व्यक्ति की ओर बढे कि उक्त व्यक्ति तमंचा निकालकर थानाध्यक्ष मेंहनाजपुर को लक्ष्य बनाकर जान मारने की नियत से फायरिंग करने लगा। पुलिस बल द्वारा आत्म समर्पण करने की पर्याप्त चेतावनी दिये जाने के पश्चात थानाध्यक्ष मेंहनाजपुर हीरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा आत्मरक्षार्थ नियन्त्रित फायरिंग की गयी जिसमें बदमाश के दाहिने पैर में गोली लगी। जिसे समय करीब 05:10 बजे हिरासत में लेकर उपचार हेतु समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मेहनाजपुर ले जाया गया।

➡ घायल बदमाश की पहचान सुन्दर बनवासी पुत्र सुबाष बनवासी निवासी सिधौना थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ उम्र 25 वर्ष के रुप में हुयी, जिसके पास से 01 तमन्चा 01 जिन्दा कारतूस, 01 खोखा कारतूस .315 बोर, 01 एन्ड्राईड फोन (सैमसंग) बरामद हुआ।

➡ गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 156/24 धारा 109 B.N.S. व 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

पूछताछ का विवरण- घायल बदमाश सुन्दर बनवासी ने बताया कि उसकी ओमकार बनवासी से पुरानी रंजिश है। ओमकार बनवासी बदमाश की पत्नी व बहन के प्रति गलत नियत रखता है। सुन्दर बनवासी उससे पूछने के लिये उसकी मडई मे गया था, तभी ओमकार बनवासी गाली देने लगा तथा सुन्दर बनवासी ने उसके उपर तमन्चे से फायर कर दिया तथा वहा से भाग कर उचहुआ जौनपुर चला गया। बदमाश अपने पिता के पास मुम्बई जाने के लिये पैसा व कपडा लेने के लिये घर जा रहा था।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0- 156/24 धारा 109 B.N.S. व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मेंहनाजपुर जनपद आजमगढ़।

बरामदगी- 01 तमन्चा 01 जिन्दा कारतूस, 01 खोखा कारतूस .315 बोर, 01 एन्ड्राईड फोन (सैमसंग)

आपराधिक इतिहास-

क्र.सं.	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जिला
1	155/24	109 बीएनएस	मेहनाजपुर	आजमगढ
2.	156/24	109 बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट	मेहनाजपुर	आजमगढ

मुठभेड/गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- थानाध्यक्ष हीरेन्द्र प्रताप सिंह, उ0नि0 दीपक कुमार, हे0का0विजय कुमार गुप्ता, हे0का0धर्मेन्द्र यादव, का0 अभिषेक मौर्य, का0 विनोद कुमार यादव, म0का0 सोमवती, थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़।